

HEAD OFFICE

UTTARAKHAND ENVIRONMENT PROTECTION &
POLLUTION CONTROL BOARD
29/20, Nemi Road, Dalanwala
DEHRADUN (Uttarakhand)

Ph: 0135-2658086, Fax: 0135-2718092 ; Web: www.ueppcb.uk.gov.in

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29/20 नेमी रोड़, डालनवाला,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बोर्ड की 19 वीं बैठक दिनांक 27.02.2018 को उद्योगों के बहुवर्षिय संचालनार्थ सहमति हेतु निम्न निर्णय लिये गये।

बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप सम्पूर्ण राज्य में लाल श्रेणी के उद्योगों को 05 वर्ष की वैधता हेतु, नारंगी श्रेणी के उद्योगों को 10 वर्ष की वैधता हेतु एवं हरित श्रेणी के उद्योगों को 15 वर्ष की वैधता हेतु संचालनार्थ सहमति निर्गत की जाये। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि यदि कोई उद्योग उक्त निर्धारित वैधता से कम समय सीमा की संचालनार्थ सहमति चाहता है तो वह इसके लिए स्वतंत्र होगा। ऐसे उद्योग, उपरोक्त निर्धारित श्रेणीवार सहमति वैधता की समय सीमा के अन्तर्गत निर्धारित सहमति शुल्क जमा कराकर उस श्रेणी के अधिकतम सहमति वैधता स्तर तक की सहमति आटो रिन्थूवल करा सकेगें। यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति की वैधता अवधि के मध्य उद्योग द्वारा विस्तारीकरण किया जाता है तो उक्त हेतु विस्तारीकरण की स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति नियमानुसार प्राप्त की जानी होगी।

सभी क्षेत्रीय अधिकारियों एवं बोर्ड मुख्यालय के अधिकारियों/कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि बोर्ड के उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय


(एस0 पी0 सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

यूईपीपीसीबी/एच0ओ0/सा0-06 (19वीं)/2017 19493-1862,

दिनांक 28, 03.2018

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून/रूड़की/काशीपुर/हल्द्वानी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, काशीपुर/इंडियन इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
5. नोटिस बोर्ड।
6. गार्ड फाईल।


28/3/18
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा0)